

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(अभिगम सेवा प्रकोष्ठ)
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं० 842-947/2007-एएस-IV/34

दिनांक 25.04.2008

सेवा में

सीएमटीएस से स्थानांतरित सभी यूएस लाइसेंसधारक

विषय : केवल सीएमटीएस से स्थानांतरित एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस करार में संशोधन।

मुझे सक्षम प्राधिकारी के इस अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है कि दूरसंचार विभाग के पत्र संख्या 842-947/2007-एएसआईवी/दिनांक 27.02.2008 के तहत सीएमटीएस लाइसेंस से स्थानांतरित यूएसएल करार में निबंधन एवं शर्तों के खण्ड 18.3.1 में जारी किया गया संशोधन संबंधित सीएमटीएस लाइसेंस से यूएस लाइसेंस में स्थानांतरण की तारीख से लागू होगा।

2. लाइसेंस की सभी अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
3. कृपया पावती की सूचना दें।

एन0एम0 मणिकम
निदेशक (ए0एस0-IV)
दूरभाष : 23372063

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ।
2. वरिष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (सतर्कता)/बेतार सलाहकार/वरिष्ठ उप महानिदेशक (डब्ल्यूपीएफ)/उप महानिदेशक (एलएफ)
3. उप महानिदेशक (सुरक्षा)/उप महानिदेशक (एएस-I)/उप महानिदेशक (एएस II)/उप महानिदेशक (सीएस)/उप महानिदेशक (डीएस), दूरसंचार विभाग ।
4. उप महानिदेशक (सी एंड ए) दूरसंचार विभाग कृपया दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर इस संशोधन को अद्यतन करने की व्यवस्था करें।
5. निदेशक (वीएस-II), निदेशक (ए0एस0)/निदेशक (एएस-III)।